न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक इटावा

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा

: संख्या 17 / 2023 | तारीख दायरा 17.02.2023 | तारीख फैसला 22/7/24

1. अर्जुन पुत्र पप्पू नाबालिक उम्र 14 वर्ष जरिये वली माता द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. करण पुत्र पप्पू नाबालिक उम्र 13 वर्ष जरिये वली माता द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. खुशबू पुत्री पप्पु नाबालिक उम्र 17 वर्ष जरिये वली माता द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4. लक्ष्मी पुत्री पप्पू नाबालिक उम्र 15 वर्ष जरिये वली माता द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
5. द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू उम्र 45 वर्ष जातियान मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जाति कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

1. बनवारी पुत्र गोप्या जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
2. लेखराज पुत्र गोप्या जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
3. सुमित्रा पुत्री गोप्या पत्नी साहबलाल जाति मीणा निवासी गुवाडी तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4. काली पुत्री गोप्या पत्नी मुकेश जाति मीणा निवासी तेजाजी का जलोदा तह0 मांगरोल जिला बारां राज0।
5. तुलसा पुत्री गोप्या पत्नी गोविन्द जाति मीणा निवासी राजपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
6. मनभर पुत्री गोप्या पत्नी शोभाग निवासी तिसाया तह0 मांगरोल जिला बारां।
7. बृजी पुत्री गोप्या पत्नी हेमराज जाति मीणा निवासी बालापुरा तह0 मांगरोल जिला बारां राज0।
8. सन्जू पुत्री गोप्या पत्नी महावीर जाति मीणा निवासी बिसलाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
9. रामकन्या पत्नी गोप्या जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय तह0 पीपल्दाजिला कोटा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील पीपल्दा की जमाबंदी संवत 2057 60 के मुताबिक खसरा नंबर 121 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नंबर 332 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 381 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.94 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण को अपने पिता पप्पू पुत्र करण से विरासत में प्राप्त हुई है। अर्जुन मीणा तथा प्रतिवादी क्रम 1 से लगायत 9 को उक्त वर्णित भूमि विरासत में अपने पिता गोप्या पुत्र मोतीलाल से प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण के पिता पप्पू व दादी प्रेम का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 से लगायत 9 के पिता गोप्या पुत्र मोत्या का 1/2 हिस्सा है। जो उक्त जमाबंदी के

राजस्व रिकॉर्ड में नहीं दर्शाया गया है। वर्णित भूमि मोत्या से प्राप्त हुई है। मोत्या के दो लड़के – एक गोप्या दूसरा करण।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है–

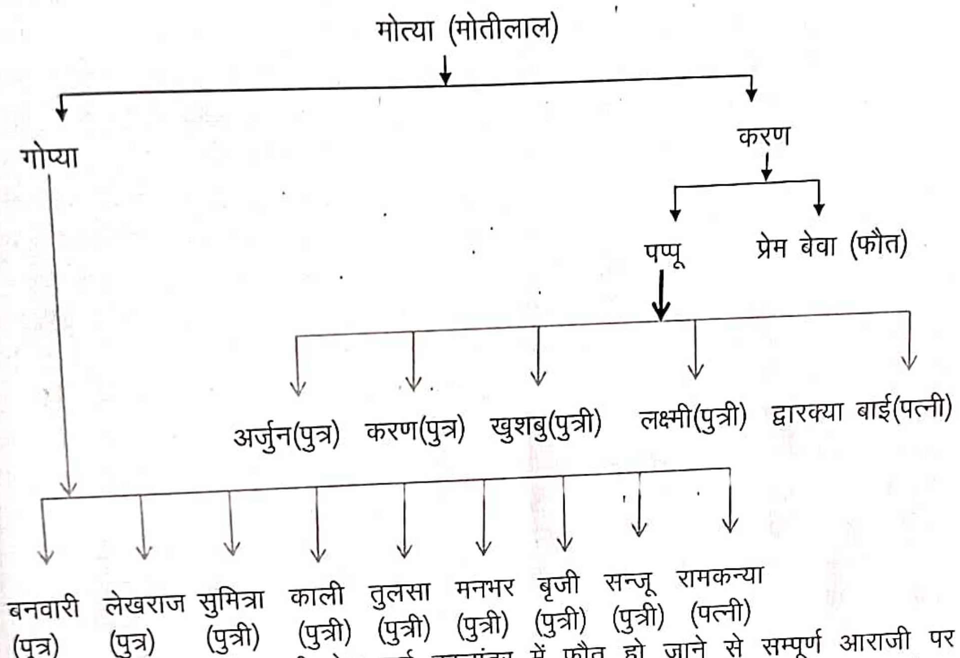

यह कि वादीगण की दादी प्रेम बाई कालांतर में फौत हो जाने से सम्पूर्ण आराजी पर मुताबिक जमाबंदी संवत 2061–64 में वादीगण के पिता पप्पू व प्रतिवादीगण के पिता गोप्या का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि ग्राम दौलतपुरा की वर्णित आराजी की जमाबंदी संवत 2065 – 68 में दर्ज नामांतकरण संख्या 313 दिनांक 20.05.2010 से वादीगण के पिता पप्पू के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस प्रकार वादीगण के पिता 1/2 हिस्से के खातेदार पूर्व से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चले आने से वादीगण का सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्सा विधिक रूप से निहित है। वादीगण व प्रतिवादीगण पूर्व से ही चले आ रहे हिस्सानुसार 1/2 – 1/2 सम्पूर्ण आराजी में बराबर–बराबर हिस्से पर वर्तमान में काबिज काश्त है।

यह कि ग्राम दौलतपुरा की वर्णित आराजी की जमाबंदी सवंत 2069–72 में दर्ज नामांतरण संख्या 417 दिनांक 05.05.2015 से मृतक प्रतिवादीगण के पिता गोप्या के स्थान पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण के पिता गोप्या पूर्व से ही वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज होने से प्रतिवादीगण 1 ता 9 भी उक्त आराजी में 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज होने के अधिकारी है।

यह कि तत्कालीन हल्का पटवारी प्रतिवादी क्रम 10 तहसीलदार महोदय पीपल्दा व उसके अधीनस्थ कर्मचारीगण, अधिकारीगण द्वारा वर्णित आराजी की नवीन जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम दौलतपुरा की बनाते समय पूर्व से ही दर्ज चले आ रहे खातेदारान के हिस्सानुसार नाम दर्ज नही करते हुऐ घोर त्रुटि करते हुऐ बिना विधिक अधिकारिता के वादीगण (प्रत्येक का) 1/50–1/50 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया। जबकि वास्तविक रूप से वादीगण (प्रत्येक का) 1/10 1/10 हिस्सा सम्पूर्ण आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 के पिता गोप्या का वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा निहित होने से प्रतिवादीगण (प्रत्येक को) 1/18–1/18 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था। यह कि प्रतिवादी क्रम 10 व उसके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा बिना

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

किसी विधिक अधिकारिता के वर्णित आराजी के पूर्व से चले आ रहे राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करते हुऐ वादीगण (प्रत्येक को) 1/50–1/50 हिस्से का खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि पूर्व रिकॉर्ड के मुताबिक वादीगण (प्रत्येक का)1/10–1/10 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिवादीगण को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 (प्रत्येक का) 1/10 – 1/10 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया। उक्त राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का वादीगण को पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त होने से वादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर रहे है। यह कि वादीया द्वारक्या बाई द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण करवाने हेतु राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिनायका में उपस्थित होने व शाखा प्रबंधक द्वारा उक्त वर्णित आराजी का नवीन रिकॉर्ड जमाबंदी प्राप्त करने पर वादीया को पता चला कि प्रतिवादीगण ने मिलीभगत करते हुऐ वादीगण के हिस्से में परिवर्तन कर दिया है। उसके बाद वादीगण ने दिनांक 06.01.2023 से दस्तावेज एकत्रित करने व तहसीलदार महोदय पीपल्दा के समक्ष रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने और तहसीलदार पीपल्दा द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश करने की हिदायत देने से दिनांक 06.01.2023 से वाद कारण 2023 से लगातार उत्पन्न हो रहा है। ग्राम दौलतपुरा पटवार मण्डल दौलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खसरा नंबर 121 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नंबर 332 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 381 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.94 हैक्टर कृषि आराजी के सम्पूर्ण रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण (प्रत्येक को) 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादीगण 1 ता 9 (प्रत्येक का) 1/18–1/18 हिस्सा वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु आदेशित किया जावें।

वाद दर्ज रजि0 किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन की गई। जर्ये सम्मन प्रतिवादी की तलबी नहीं होने से रजि0 एडी से तलबी करवाई गई। रजि0 एडी से सम्मन की तामील होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से दिनांक 13.4.2023 को प्रतिवादीकम 1, 2 व 4 ता 9 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादीकम 3 द्वारा सम्मन की प्रति लेने से मना करने पर प्रतिवादी कम 3 के विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी कम 10 की ओर से जवाब सरकार पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण द्वारा तनकीयात कायम नहीं किए जाकर साक्ष्य पेश करने का निवेदन किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी में पी0डब्ल्यू 1 द्वारक्या बाई के बयानों का शपथ–पत्र पेश किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबंदी सं0 2057–2061, प्रदर्श 2 जमाबंदी सं0 2061–2064, प्रदर्श 3 जमाबंदी सं0 2065–2068, प्रदर्श 4 नामान्तरण 14.3.2013 प्रदर्श 5 जमाबंदी सं0 2069–2072, प्रदर्श 6 नामान्तरण सं0 417, प्रदर्श 7 जमाबंदी सं0 2073–2076 पेश किए गए। प्रतिवादी कम 10 द्वारा जवाब सरकार में वारिसान की जांच रिपोर्ट में मोत्या के वारिसान के रूप में गोप्या पुत्र व करण पुत्र होना बताया गया। गोप्या फोत होने पर उसके वारिसान के रूप में प्रतिवादी कम 1 लगायत 9 व करण फोत होने पर उसके वारिसान के रूप में वादीगण कम 1 ता 5 होना पाया गया। इस प्रकार वाद पत्र में वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 9 मृतक गोप्या व करण के वैद्य वारिसान होना बताया गया तथा वादीगण का प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 1 ता 9 का प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा होना बताया गया। जो मृतक गोप्या व करण के वारिसान के रूप में दर्ज होना चाहिए आदि। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन मनन किया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज व जवाब सरकार के अवलोकन से ग्राम दोलतपुरा की जमाबंदी सम्बत 2057–60 खाता सं0 11 किता 4 रकबा 2.94है0 पर गोप्या पुत्र मोत्या, पप्पू पुत्र करण, प्रेम बैवा करण दर्ज रिकार्ड है। जिससे

सहायक कलक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)

साफ जाहिर है कि मोत्या के 2 पुत्र गोप्या और करण है। जमाबंदी सम्वत 2061–64 खाता सं0 14 में भी गोप्या पुत्र मोत्या, पप्पू पुत्र करण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2069–72 में गोप्या पुत्र मोत्या व करण के वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2073–76 में अर्जुन पुत्र पप्पू हिस्सा 1/50, करण पुत्र पप्पू हिस्सा 1/50, काली पुत्री गोप्या हिस्सा 1/10, खुशबू पुत्री पप्पू हिस्सा 1/50, तुलसा पुत्री गोप्या हिस्सा 1/10, द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू हिस्सा 1/50, बृजी पुत्री गोप्या हिस्सा 1/10, बनवारी पुत्र गोप्या हिस्सा 1/10, मनभर पुत्री गोप्या हिस्सा 1/10, रामकन्या पत्नी गोप्या हिस्सा 1/10, लक्ष्मी पुत्री पप्पू हिस्सा 1/50, लेखराज पुत्र गोप्या हिस्सा 1/10, संजू पुत्री गोप्या हिस्सा 1/10, सुमित्रा पुत्री गोप्या हिस्सा 1/10, राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त दस्तावेजों एवं जमाबंदी से तथा जवाब सरकार के अवलोकन से साफ़ जाहिर है कि मृतक मोत्या के 2 पुत्र गोप्या व करण थे। वादीगण 1 ता 5 करण के वारिसान उत्तराधिकारी है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 मृतक गोप्या के वारिसान उत्तराधिकारी है। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2073–76 में वादीगण 1 ता 5 प्रत्येक का 1/50–1/50 हिस्सा दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण 1 ता 9 प्रत्येक का 1/10–1/10 दर्ज कर दिया गया है। जबकि जवाब सरकार के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पारिवारिक सजरा अनुसार वादीगण 1 ता 5 प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1 ता 9 प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। उक्त दस्तावेजों एवं जवाब सरकार बयान वादी प्रदर्श आदि से साफ जाहिर है कि राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी सं0 2069–72 से जमाबंदी सं0 2073 से 76 बनाते वक्त त्रुटि की गई है। जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके माल ग्राम दोलतपुरा पटवार हलका दोलतपुरा तह0 पीपल्दा ज़िला कोटा में जमाबंदी 2073–76 खाता सं0 नया 58 पुराना 20 ख0सं0 121 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नंबर 332 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 381 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.94 हैक्टर में वादीगण अर्जुन पुत्र पप्पू हिस्सा 1/10, करण पुत्र पप्पू हिस्सा 1/10, खुशबू पुत्री पप्पू हिस्सा 1/10, लक्ष्मी पुत्री पप्पू हिस्सा 1/10, द्वारक्या बाई पत्नि पप्पू हिस्सा 1/10, प्रतिवादीगण काली पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, तुलसा पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, बृजी पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, बनवारी पुत्र गोप्या हिस्सा 1/18, मनभर पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, रामकन्या पत्नी गोप्या हिस्सा 1/18, लेखराज पुत्र गोप्या हिस्सा 1/18, संजू पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, सुमित्रा पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। मुताबिक आदेश एवं डिक्री की पालना हेतु प्रतिवादीकम 10 को आदेश दिया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22/7/21 को खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा
सहायक कलक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक इटावा

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा (आर0ए0एस0)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
17/2023	17.02.2023	22/7/24

1. अर्जुन पुत्र पप्पू नाबालिक उम्र 14 वर्ष जरिये वली माता द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2 करण पुत्र पप्पू नाबालिक उम्र 13 वर्ष जरिये वली माता द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3 खुशबू पुत्री पप्पु नाबालिक उम्र 17 वर्ष जरिये वली माता द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4 लक्ष्मी पुत्री पप्पू नाबालिक उम्र 15 वर्ष जरिये वली माता द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
5 द्वारक्या बाई पत्नी पप्पू उम्र 45 वर्ष जातियान मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जाति कोटा राज0।

वादीगण

वनाम

1. बनवारी पुत्र गोप्या जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
2. लेखराज पुत्र गोप्या जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
3. सुमित्रा पुत्री गोप्या पत्नी साहबलाल जाति मीणा निवासी गुवाडी तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4. काली पुत्री गोप्या पत्नी मुकेश जाति मीणा निवासी तेजाजी का जलोदा तह0 मांगरोल जिला बारां राज0।
5. तुलसा पुत्री गोप्या पत्नी गोविन्द जाति मीणा निवासी राजपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
6. मनभर पुत्री गोप्या पत्नी शोभाग निवासी तिसाया तह0 मांगरोल जिला बारां।
7. वृजी पुत्री गोप्या पत्नी हेमराज जाति मीणा निवासी बालापुरा तह0 मांगरोल जिला बारां राज0।
8. सन्जू पुत्री गोप्या पत्नी महावीर जाति मीणा निवासी विसलाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
9. रामकन्या पत्नी गोप्या जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय तह0 पीपल्दाजिला कोटा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू.......................... मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम दोलतपुरा पटवार हलका दोलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा में जमाबंदी 2073–76 खाता सं0 नया 58 पुराना 20 ख0सं0 121 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नंबर 332 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 381 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.07 हैक्टर

सहायक कलक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)

कुल किता 4 कुल रकबा 2.94 हैक्टर में वादीगण अर्जुन पुत्र पप्पू हिस्सा 1/10, करण पुत्र पप्पू हिस्सा 1/10, खुशवू पुत्री पप्पू हिस्सां 1/10, लक्ष्मी पुत्री पप्पू हिस्सा 1/10, द्वारक्या वाई पत्नि पप्पू हिस्सा 1/10, प्रतिवादीगण काली पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, तुलसा पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, वृजी पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, वनवारी पुत्र गोप्या हिस्सा 1/18, मनभर पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, रामकन्या पत्नी गोप्या हिस्सा 1/18, लेखराज पुत्र गोप्या हिस्सा 1/18, संजूं पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, सुमित्रा पुत्री गोप्या हिस्सा 1/18, राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। विवादित आराजी यदि रहनभार हेतु यथावत रहेगा। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 22/7/24 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी।		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी।		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बावत इजराय हुक्तनामा			बावत इजराय हुक्तनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज०)